संख्या–1099(ए)/71–4–2020–37/2015टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2020

विषयः– उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2020 व 31.07.2020 के अनुपालन में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु शासनादेश दिनांक 17.03.2020 द्वारा निर्धारित शुल्क पर पुनर्विचार कर शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–342/71–4–2020–37/2015टी0सी0 दिनांक 17.03.2020 द्वारा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी, रामा मेडिकल कालेज, हापुड़, हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर, मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी, राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली तथा रामा मेडिकल कालेज, कानपुर द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम का शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु शुल्क निर्धारित किया गया था।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–342/71–4–2020– 37/2015टी0सी0 दिनांक 17.03.2020 द्वारा निर्धारित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शुल्क के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष संबंधित संस्थाओं द्वारा अपील योजित की गयी थी। अपील संख्या–7(एम0ई0)/2020 मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 27.07.2020 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"50– In view of the forgoing discussions, Since proper opportunity of hearing was not offered to the appellant and the order under appeal is cryptic one, we find it appropriate to remit the matter to the Committee which is itself the expert body and is only meant for fixation of the fee under the Act with the direction to offer proper opportunity and individual hearing to the appellant and pass a reasoned speaking order taking into account all the relevant aspects of the matter and the material brought by the appellant for fixation of the fee of the College, particularly recording the reasons for making a base of the balance sheet for the year 2016-17 ignoring the balance sheet of the year 2018-19 and the expenses incurred in creating infrastructure for running the P.G. courses while fixing the fee for the year 2020-21. The committee is also required to consider the proposal of the appellant Medical Institution for fixation of the fee in respect to the P.G. courses and also record reasons in case of agreeing or disagreeing with the proposal. The Committee is also required to record reasons in fixing particular fee for particular type of rooms of the hostel constructed in the College if any statutory basis is there for fixing the hostel fee that is also required to be disclosed.

51– The above exercise is to be completed within a period of four weeks from the date of receipt of a certified copy of this judgement. The lerned council for the appellant is directed to serve a copy of this judment and order to the Respondent No. 2 within a week.
52– In the result, the appeal succeeds and is allowed. The order dated 17-03-2020 is set aside with respect to the appellant instutition only with the direction made herein above.
53– Since we have set aside order dated 17-03-2020 by which the fee has been fixed in respect to the appellant, it may create confusion in charging fee, therefore, the fee structure that is prevailing on date i.e. 27-07-2020 shall remain in operation for a period of two months from today."

3– मा0 अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील संख्या–7(एम0ई0)/2020 में दिनांक 27.07.2020 को पारित आदेश का सन्दर्भ राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली द्वारा योजित अपील संख्या–1(एम0ई0)/2020, रामा मेडिकल कालेज, हापुड़ द्वारा योजित अपील संख्या–2(एम0ई0)/2020, रामा मेडिकल कालेज, कानपुर द्वारा योजित अपील संख्या–3(एम0ई0)/2020, हिन्द मेडिकल कालेज, सीतापुर द्वारा योजित अपील संख्या–4(एम0ई0)/2020, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी द्वारा योजित अपील संख्या–6(एम0ई0)/2020 में दिनांक 31.07.2020 को पारित आदेश में दिया गया है। उक्त अपीलों में पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"Since we have set aside order dated 17-03-2020 by which the fee has been fixed in respect to the appellant's college, it may create confusion in charging fee, therefore, the fee structure which is prevailing on date i.e. 31-07-2020 shall remain in operation for a period of two months from today."

4– मा0 अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या–342/71–4–2020–37/2015टी0सी0 दिनांक 17.03.2020 द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क पर पुनर्विचारण हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति संख्या–1182/71–4–2020–37/ 2015टी0सी0 दिनांक 20.08.2020 द्वारा समिति का गठन किया गया। निर्धारित शुल्क पर पुनर्विचारण हेतु दिनांक 20.08.2020 को एक बैठक आहूत की गयी।

5– समिति द्वारा सभी 07 संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराए गए लिखित अभिलेख एवं मौखिक अभिकथन का संज्ञान लिया गया। विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि चूंकि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 के माध्यम से गठित नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतएव प्रदेश में संचालित मेडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शुल्क के निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार में पूर्ववत् निहित है तथा छात्र हित में आवश्यक भी है। मा0 अपीलीय प्राधिकरण के आदेश दिनांक 27.07.2020 में भी इसे माना गया है।

6– समिति द्वारा यह भी पाया गया कि उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा–3(घ) के अनुसार फीस का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भी है, से है। अतएव हॉस्टल फीस एवं अन्य समस्त शुल्कों का

निर्धारण किया जाना विधि सम्मत है तथा उक्त अधिनियम की धारा–10(2) के अनुसार शिक्षा के वाणिज्यीकरण व मुनाफाखोरी को रोकने के लिए आवश्यक है।

7– समिति द्वारा शुल्क निर्धारण संबंधी पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1083/71–2–16–37/2015 दिनांक 07.04.2017, शासनादेश संख्या–238/71–4–2018–37/2015 दिनांक 31.03.2018 तथा शासनादेश संख्या–390/71–4–19–37/2015 दिनांक 09.03.2019 का भी विस्तृत विश्लेषण किया गया तथा शासनादेश संख्या–342/71–4–2020– 37/2015टी0सी0 दिनांक 17.03.2020 द्वारा निर्धारित शैक्षणिक शुल्क के पुनर्निर्धारण का औचित्य पाया गया।

8– उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा–10(1) में शुल्क निर्धारण के मानदण्डों, मा0 अपीलीय प्राधिकरण के आदेश दिनांक 27.07.2020 एवं दिनांक 31.07.2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है। मा0 अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों में वर्ष 2016–17 की बैलेंस शीट को आधार बनाये जाने तथा वर्ष 2018–19 की बैलेंस शीट को महत्व न दिये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में समिति का यह मत स्थिर हुआ कि गत वर्ष समिति द्वारा वर्ष 2018–19 की बैलेंस शीट को भी ध्यान में रखा गया था। समिति द्वारा वर्तमान शुल्क निर्धारण में संस्थाओं के वर्ष 2018–19 की बैलेंस शीट के आधार पर बेस फीस पर 20 प्रतिशत का अधिमान दिये जाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2019–20 की परीक्षित बैलेंस सीट उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः विचाराधीन संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रथम बार लागू किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में पी0जी0 पाठ्यक्रम के संचालन पर होने वाले व्यय का प्रतिफलन बैलेंस शीट में नहीं हो रहा है, जिसके कारण केवल बैलेंस शीट के आधार पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के शुल्क की लागत की गणना किया जाना सम्भव नही है।

9– समिति द्वारा निर्धारित शुल्क पर पुनर्विचारण कर शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए जाने का विनिश्चय किया गया:–

(1) आर्थिक उपयोगी जीवन (Usefull Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम–2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही मेडिकल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

(2) वर्ष 2018–19 के Audited Balance Sheet के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए शुल्क निर्धारित आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया। तदनुसार Inflation की दर के आधार पर वर्ष की फीस का निर्धारण किये जाने का विनिश्चय किया गयो। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

(3) Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही

अनुमन्य कराया गया है।

(4) समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मँहगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढॉचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 02 वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।

(5) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढांचे में करना औचित्यपूर्ण पाया।

(6) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा–3(घ) के अनुसार शिक्षण फीस एवं विकास प्रभार के साथ ही सभी प्रकार के शुल्क का निर्धारण औसत बाजार दर एवं व्यावहारिकता के आधार पर किया जाए ताकि अधिनियम, 2006 की धारा–10(2) का अनुपालन हो सके अर्थात् मुनाफाखोरी एवं शिक्षा का वाणिज्यीकरण रोका जा सके।

10– समिति के सहयोगार्थ आबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा शुल्क निर्धारण समिति को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या–390/71–4–19– 37/2015 दिनांक 09.03.2019 में आधार शुल्क की गणना की गयी थी तथा 30 प्रतिशत घटाते हुए पैथोलॉजी पी0जी0 पाठ्यक्रम एवं आधार शुल्क में 30 प्रतिशत बढ़ाते हुए क्लीनिकल पाठ्यक्रम के शुल्क का निर्धारण किया गया था। समिति द्वारा यह भी संज्ञानित किया गया कि नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रम हेतु आधार शुल्क में से 50 प्रतिशत धनराशि घटाकर शुल्क का निर्धारण किया गया था तथा पैथोलॉजी पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शुल्क रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष व अन्य नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रम न्यूनतम शुल्क रू0 8.00 लाख प्रतिवर्ष रखा गया था। वस्तुतः स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों को वेतन के रूप में रू0 7 से 8 लाख प्रतिवर्ष संस्था द्वारा दिया जाता है, ऐसे में नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रमों में न्यूनतम शुल्क पैथोलॉजी हेतु रू0 10.00 लाख तथा शेष नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रम हेतु रू0 8.00 लाख को इस समिति द्वारा भी औचित्यपूर्ण पाया गया।

समिति द्वारा समग्र रूप से यह मत स्थिर किया गया कि सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को आधार बनाकर निर्धारित किये गये विषयगत 07 मेडिकल कालेजों के पी0जी0 पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण में संशोधन की आवश्यकता है।

समिति ने संज्ञान लिया कि केवल बैलेंस शीट के आधार पर ही शुल्क की गणना करने से कालेजों के शुल्क निर्धारण में व्यापक विचलन होगा। अतएव क्लीनिकल पाठ्यक्रम का एक सामान्य प्रारम्भिक आधार शुल्क (Preliminary Base Fees) निर्धारित कर उस पर संस्था की वर्ष 2018–19 की बैलेंस शीट के

आधार पर प्रति छात्र अनुमन्य व्यय का 20 प्रतिशत वेटेज देते हुए कुल आगणित संस्थावार अंतिम आधार शुल्क (Final Base Fees) को क्लीनिकल पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किया जाना तर्क संगत पाया गया।

समिति के सहयोगार्थ आबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उक्त आधार पर संस्थावार गणनाशीट उपलब्ध करायी गयी। समिति द्वारा पैथोलॉजी पाठ्यक्रम हेतु गत वर्ष निर्धारित रू0 10.00 लाख प्रति छात्र न्यूनतम वार्षिक फीस के आधार पर विभिन्न मेडिकल कालेजों के क्लीनिकल पाठ्यक्रमों के प्रारम्भिक आधार शुल्क (Preliminary Base Fees) की गणना औचित्यपूर्ण पायी गयी जो रू0 18.50 लाख होती है। समिति द्वारा उसका संज्ञान लिया गया तथा उसके आधार पर शिक्षण शुल्क निर्धारित किए जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि वर्ष 2019–20 की आडिटेड बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं है। अतएव वर्ष 2018–19 की बैलेंस शीट को ही आधार बनाना तर्क संगत पाया गया।

11– फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के निम्नलिखित 07 मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संबंधित संस्थाओं के सम्मुख अंकित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0 सं	संस्था का नाम	अवधि/ शैक्षणिक सत्र, जिसके लिए शुल्क निर्धारित किया जा रहा है।	निर्धारित अधिकतम शुल्क प्रतिछात्र प्रतिवर्ष		
			क्लीनिकल (रूपये में)	नान क्लीनिकल	
				पैथोलॉजी (रूपये में)	अन्य (रूपये में)
1	टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ	2020–21	आवश्यकता नहीं	11,11,700	8,00,000
2	हैरिटेज इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी	2020–21	20,22,800	10,89,200	8,00,000
3	रामा मेडिकल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड़	2020–21	20,60,100	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
4	हिन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर	2020–21	19,90,300	10,71,700	8,00,000
5	मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	2020–21	19,85,700	10,69,200	8,00,000
6	राजश्री मेडिकल कॉलेज, बरेली	2020–21	20,74,900	11,17,300	8,00,000
7	रामा मेडिकल कालेज रिसर्च सेन्टर एण्ड हॉस्पिटल, कानपुर	2020–21	20,56,600	शासनादेश दिनांक 09.03. 2019 द्वारा निर्धारित	शासनादेश दिनांक 09.03.2019 द्वारा निर्धारित

12– फीस नियमन समिति द्वारा मेडिकल कॉलेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0डी0/एम0एस0) के शैक्षणिक शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क के निर्धारण के प्रस्ताव पर विचारण किया गया। समिति द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के

उपरान्त देश के अन्य राज्यों में संबंधित मदों में प्रचलित शुल्क व्यवस्था व अन्य सुसंगत कारकों यथा लागत आदि को ध्यान में रखते हुए शासनादेश संख्या–342/71–4–2020– 37/2015टी0सी0 दिनांक 17.03.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु निर्धारित अन्य शुल्क यथा छात्रावास शुल्क आदि को उचित तथा तर्क संगत पाया गया तथा इसमें बढ़ोत्तरी किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1–छात्रावास शुल्क–

(ए) नॉन ए0सी0 सिंगल आकूपेन्शी – रू0 2.50 लाख प्रतिवर्ष।
(बी) ए0सी0 सिंगल आकूपेन्शी – रू0 3.00 लाख प्रतिवर्ष।
(सी) नॉन ए0सी0 डबल आकूपेन्शी – रू0 1.75 लाख प्रतिवर्ष।
(डी) ए0सी0 डबल आकूपेन्शी – रू0 2.10 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है।

2– सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)–

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:– रू0 5.00 लाख (एक बार)।

3–विविध शुल्क– रू0 1.20 लाख प्रतिवर्ष।

स्नातकोत्तर (एम0डी0एस0)

1– छात्रावास शुल्क–

(ए) नॉन ए0सी0 सिंगल आकूपेन्शी – रू0 1.25 लाख प्रतिवर्ष।
(बी) ए0सी0 सिंगल आकूपेन्शी – रू0 1.50 लाख प्रतिवर्ष।
(सी) नॉन ए0सी0 डबल आकूपेन्शी – रू0 87,500.00 प्रतिवर्ष।
(डी) ए0सी0 डबल आकूपेन्शी – रू0 1.05 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है।

2–सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)–

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:– रू0 3.00 लाख (एक बार)।

3–विविध शुल्क– रू0 1.00 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित हैं।

छात्रों द्वारा सिक्योरिटी की धनराशि संबंधित कालेज में बैंक के फिक्स डिपॉजिट (एफ0डी0) के माध्यम से भी जमा की जा सकती है।

13– शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
14– उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारण संबंधी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– (1)/71–4–2020–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
7. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव

कार्यालय महानिदेशसक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्याः–एम0ई0–3/2020/1447 लखनऊः दिनांकः– 04 ,सितम्बर, 2020

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज, लखनऊ।
2. हिन्द मेडिकल कालेज, सीतापुर।
3. रामा मेडिकल कालेज, हापुड़।
4. रामा मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली।
6. मेयो मेडिकल कालेज, बाराबंकी।
7. हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी।
8. डा0 बी0डी0 सिंह सम्बद्ध अधिकारी को इस आशय से कि उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट **www.updgme.in, upneet.gov.in** पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

Scanned with CamScanner

(आर0सी0गुप्ता)
कार्यवाहक महानिदेशक।